फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना मऊदरवाजा

दिनांक :- 11.12.2024

थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-168/2024 धारा 137(2)/87 अभियोग में नामित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी नगर **सुश्री ऐश्वर्या उपाध्याय** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मऊदरवाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-168/2024 धारा 137(2)/87 बीएनएस में नामित वांछित अभियुक्त कुलदीप पाल उर्फ हर्ष पाल पुत्र विनोद पाल निवासी मो0 कटरा बक्शी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को दिनांक 11.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:- कुलदीप पाल उर्फ हर्ष पाल पुत्र विनोद पाल निवासी मो0 कटरा बक्शी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ ।

घटना का संक्षिप्त विवरण: दिनांक 13.08.2024 को वादी के द्वारा थाना मऊदरवाजा पर प्रार्थना पत्र दिया गया था कि दिनांक 12.08.2024 को उनकी पुत्री कोचिंग पढ़ने गयी थी फिर वापस नहीं आयी तब पुत्री को ढूढने पर पता चला कि उसकी पुत्री को कुलदीप पाल उर्फ हर्षपाल पुत्र विनोद पाल उपरोक्त अपने साथ वहला फुसलाकर शादी करने के लिए भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर दिनांक 13.08.2024 को थाना मऊदरवाजा पर मु0अ0सं0-168/2024 धारा-137(2)/87 बीएनएस बनाम कुलदीप पाल उर्फ हर्षपाल पुत्र विनोद पाल पंजीकृत किया गया था। मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियोग में नामित अभियुक्त कुलदीप पाल उर्फ हर्ष पाल पुत्र विनोद पाल निवासी मो0 कटरा बक्शी थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़ को दिनांक 11.12.2024 को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण अभियुक्त उपरोक्त:-

कुलदीप पाल उर्फ हर्ष पाल उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि पड़ोस में एक लड़की रहती थी, जिससे मेरी जान पहचान हो गयी थी और हम लोग आपस में बाते करने लगे थे । मै उससे शादी करना चाहता था इसलिये मैंने दिनांक 12.08.2024 को लड़की को शादी के लिये बहला फुसला कर भगाकर ले गया था। साहब मुझसे गलती हो गयी है, मुझे माफ कर दो । शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में दूंगा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 168/2024 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ़।

बरामद माल का विवरण:- निल

गिरफ्तार करने वाली थाना मऊदरवाजा पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री बलराज भाटी
2. उ0नि0 श्री लछिमन सिंह
3. उ0नि0 श्री अक्षय कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़।